M/s Smt. Sushila Devi and Sateye Singh Rana, Muni Ki Reti, District Tehri Garhwal द्वारा प्रस्तावित Mining of Sand, Bajri & Boulders (Minor Mineral) (Area-10.65 ha. & Production capacity-632610 TPA) on the bed of Alaknanda River, Khasra No. 1195, 1196, 1197 to 1199, 1203, 1204, 1206, Village Ranihat, Patti Chauras, Tehsil Kirtinagar, Distt. Tehri Garhwal हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई दिनांक 31.05.2022 समय 11.00 बजे का कार्यवृत्त।

M/s Smt. Sushila Devi and Sateye Singh Rana, Muni Ki Reti, District Tehri Garhwal द्वारा लघु लवणों (रेता, बजरी, बोल्डर) के संग्रहण के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को जन सुनवाई हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस हेतु लोक सुनवाई की तिथि से नियमानुसार 30 दिन पूर्व दैनिक समाचार पत्र Times of India (Delhi Edition) व Amar Ujala (UK Edition) में दिनांक 27.04.2022 के अंक में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के आयोजन की सूचना प्रकाशित की गयी थी। **(संलग्नक–1)**

जिलाधिकारी महोदय, टिहरी गढ़वाल द्वारा नामित श्री रामजी शरण शर्मा, अपर जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल की अध्यक्षता में लोक सुनवाई का आयोजन दिनांक 31.05.2022 को समय 11.00 बजे, परियोजना स्थल ग्राम रानीहाट, पट्टी चौरास, तहसील कीर्तिनगर, जिला टिहरी गढ़वाल में किया गया। लोक सुनवाई की उपस्थिति संलग्नकानुसार रही। **(संलग्नक–2)** इस अनुक्रम में परामर्शी संस्था M/s Paramarsh Servicing Environment and Development द्वारा बनायी गई ई0आई0ए0 रिपोर्ट पर परियोजना प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुतिकरण किया गया, जिसका सांरांश निम्नानुसार है–

1. प्रस्तावित परियोजना स्थल ग्राम नैथाणा, पट्टी चौरास, तहसील कीर्तिनगर, जिला टिहरी गढ़वाल स्थल के भौगोलिक निर्देशांक 30°13'31.597" उत्तर से 30°13'38.246" उत्तर के मध्य देशान्तर 78° 45' 59.18" पूर्व से 78° 46'25.041" पूर्व है।

2. प्रस्तावित परियोजना का क्षेत्रफल 10.65 है0 है, जिसमें 6,32,610 टन/वर्ष लघु लवण (रेता, बजरी एवं बोडल्डर) निकाला जायेगा, जो कि ग्राम नैथाणा, पट्टी चौरास, तहसील कीर्तिनगर, जिला टिहरी गढ़वाल में स्थित है। परियोजना की कुल अनुमानित लागत रू0 90 लाख प्रस्तावित है।

3. प्रस्ताव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की उक्त परियोजना पर्यावरणीय प्रभाग अधिसूचना 2006 एवं अनुगामी संशोधनों के अनुसार यह प्रस्तावित खनन परियोजना बी 1 श्रेणी में वर्गीकृत की गई है, जिस सम्बन्ध में SEIAA द्वारा TOR, पत्र संख्या–229/SEAC दिनांक 15.07.2021 को जारी किया गया।

4. प्रस्तावित परियोजना में कुल जल खपत 4.0 कि0ली0 प्रति दिन तथा धूल नियंत्रण, वृक्षारोपण हेतु किया जायेगा। प्रस्तावित परियोजना से लगभग 24 व्यक्तियों को प्रतिदिन रोजगार दिया जायेगा।

5. प्रस्ताव में बताया गया कि प्रस्तावित परियोजना के 10 किमी0 त्रिज्या में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण वाइल्ड लाइफ सेन्चुरी/वन्य जीव गलियारा नहीं है।

6. प्रस्तावित परियोजना स्थल ग्राम नैथाणा, पट्टी चौरास, तहसील कीर्तिनगर से निकटतम रेल स्टेशन ऋषिकेश से दूरी 102 किमी0 व निकटतम हवाई अड्डा जौलीग्रांट 60 किमी0 है निकटतम राज्य मार्ग NH-58 से दूरी 1.0 किमी0 है।

7. प्रस्तावित खनन का माइनिंग प्लान भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उत्तराखण्ड पत्रांक संख्या–886 खनन/भू0खनि0ई0/मा0प्लान/2020–21 दिनांक 24.06.2021 द्वारा स्वीकृत किया गया है। खनन 3.0 मीटर गहराई तक below ground levels (bgl) or above ground water level जो भी कम हो, तक किया जायेगा। खनन कार्य Conventional opencast river bed mining की पद्धति से कार्य किया जायेगा। खनन में विस्फोटकों का प्रयोग नहीं किया जायेगा। प्रस्तावित खनन में बेस लाइन डाटा का कार्य मानसून से पूर्व काल में किया जायेगा।

प्रस्तुतीकरण के बाद अध्यक्ष महोदय द्वारा परियोजना के सम्बन्ध में जन समुदाय से उनके सुझाव एवं आपत्तियां लिखित एवं मौखिक रूप से आमन्त्रित किये जाने हेतु कहा गया तथा जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत सुझावों एवं आपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है–

1. **श्री मनोज कुमार जोशी, पूर्व प्रधान, ग्राम नैथाणा** द्वारा कहा गया कि इस परियोजना के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत को सूचना नहीं दी गयी है। पूर्व में भी खनन के सम्बन्ध में कही गयी बातों को पूरा नहीं किया गया है। इससे परियोजना प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुतिकरण में कही गयी बातों के सम्बन्ध में विश्वास नहीं होता है। खनन प्रतिनिधि द्वारा क्षेत्रवासियों को धमकाया जाता है एवं खनन से क्षेत्र को नुकसान हो रहा है। खनन पट्टे को जनहित में निरस्त किया जाये।

2. **श्री नरेन्द्र भण्डारी, भाजपा अध्यक्ष, कीर्तिनगर** के द्वारा कहा गया कि खनन के सम्बन्ध में कागजों पर कही गयी बातें धरातल पर कहीं नहीं दिखती हैं। क्षेत्रवासियों को इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी गयी। इस खनन क्षेत्र की नियमावली अन्य क्षेत्रों से भिन्न क्यों है। खनन क्षेत्र में कामगारों के लिये किसी प्रकार की शौचालय व्यवस्था की गयी है और न ही वृक्षारोपण किया गया है। यह समस्त क्षेत्र गौ–चर भूमि व खेल मैदान है। जन समुदाय खनन परियोजना का विरोध करते हैं।

3. **श्री आयुष, ग्राम नैथाणा** के द्वारा कहा गया कि क्षेत्रवासियों को लोक सूनवाई के सम्बन्ध में सूचित नहीं किया गया। इस क्षेत्र में खनन पूर्व से स्वीकृत है। इस खनन क्षेत्र की सीमा को निर्धारित नहीं किया गया है, जिसमें कुछ रकबा अनुसूचित जाति को आवंटित है व कुछ रकबा गौ–चर भूमि को आवंटित है, फिर कैसे यह भूमि खनन हेतु प्रयोग में लायी जा सकती है। लीज क्षेत्रफल पर कैसे स्वामित्व स्थापित किया जा सकता है। चौरास क्षेत्र में खेल मैदान नहीं है। पूर्व में आयी आपदा के कारण खेल मैदान पूरी तरह से नष्ट हो गया है।

4. **श्री अमर सिंह, निवासी चौरास** द्वारा कहा गया कि खनन परियोजना की सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित की जानी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं किया गया। खनन क्षेत्र में पूर्व में खेल मैदान था, जो खनन किये जाने से पूर्णतया नष्ट हो गया है। वर्तमान में खेल मैदान के लिये पैसा स्वीकृत हो गया है, तो उस क्षेत्र में खनन कार्य क्यों। वातावरण पर खनन का बुरा प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। गौ–चर भूमि इस खनन क्षेत्र में है, खनन क्षेत्र में जल की आपूर्ति किये जाने हेतु वाटर पम्प स्टेशन स्थापित/संचालित है, इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया गया। खनन का पूर्ण विरोध किया जायेगा। खनन परियोजना हेतु ग्राम पंचायत से मंजूरी नहीं ली गयी है।

5. **श्री केवल सिंह कठैत, पूर्व प्रधान, ग्राम नैथाणा, रानीहाट** द्वारा कहा गया कि लोक सुनवाई की सूचना ग्राम सभा को नही दी गयी। पूर्व में इस पट्टे का मेरे द्वारा विरोध किया गया था। पूर्व में भी कही गयी बातों का अनुपालन नहीं किया गया। खेल मैदान पर पूर्व में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता था। पूर्व में आपदा में खेल मैदान क्षतिग्रस्त हो गया था। खेल मैदान को भी खनन क्षेत्र में शामिल किया गया है। इस क्षेत्र में 30 वर्षों से खनन की स्वीकृति व्यक्ति विशेष को पुर्नावृत्ति की जा रही है। इस पर परियोजना प्रबन्धक के द्वारा श्री राणा जी द्वारा कहा गया कि वर्ष 1987 से मेरे द्वारा खनन कार्य किया जा रहा है। प्रस्तावित खनन परियोजना में किसी भी प्रकार का स्टोन क्रेशर लगाया जाना प्रस्तावित नहीं है। विवादित खसरा संख्या पूर्व से ही 2896 व 2898 हमारी माइनिंग लीज में अंकित है। मेरे द्वारा कभी भी खेल मैदान का विरोध नहीं किया गया। उनके द्वारा नकल खसरा उपलब्ध कराया गया, जिसमें खसरा संख्या–2896 व 2898 वर्ग 9(3) बंजर भूमि दर्ज है। (संलग्नक–3)

6. **श्री हरेन्द्र सिंह मनवाल, ग्राम नैथाणा** द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित परियोजना में खसरा संख्या– 2896 व 2898 जिलाधिकारी महोदय द्वारा उक्त पट्टों पर स्वीकृति नहीं ली गयी है एवं उक्त दोनों खसरे प्रस्तावित परियोजना के भाग नहीं हैं, तो उक्त पट्टो पर खनन क्यों किया जा रहा है। परियोजना प्रबन्धक को इस हेतु ग्राम सभा के सम्मुख माफीनामा दिया जाना चाहिए।

7. **श्री देवेन्द्र गौड, ग्राम रानीहाट** द्वारा कहा गया कि न्यायालय द्वारा नदी को जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया गया है तो फिर स्थल पर परियोजना का क्या औचित्य है। खनन पट्टे स्थानीय व्यक्तियों को क्यों नहीं दिये जाते हैं। खनन की शिकायत/सूचना पर खनन कार्मिकों के द्वारा डराया धमकाया जाता है।

तदोपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा जन सामान्य को पुनः अपनी बात लिखित व मौखिक रूप से रखने को कहा गया। इसके पश्चात् अन्त में परियोजना के पक्ष व विपक्ष में मतदान की कार्यवाही की घोषणा की गई, परियोजना के पक्ष में मतदान शून्य रहा, एवं विपक्ष में अधिकतर लोगों द्वारा परियोजना के विरोध में मतदान दर्ज किया गया। उपरोक्त जन समुदाय की लिखित रूप में आपत्ति **(1) श्रीमती आशा देवी भट्ट, प्रधान ग्राम पंचायत नैथाणा चौरास, टिहरी गढ़वाल (संलग्नक–4)** एवं सुझावों को कार्यवृत्त में सम्मिलित किया गया तथा जन सुनवाई की फोटाग्राफी एवं वीडियो रिर्काडिंग करायी गयी। अन्त में अध्यक्ष महोदय के द्वारा धन्यवाद के साथ लोक सुनवाई का समापन किया गया।

संलग्नक–

1. फोटो– 03 प्रतियां
2. डी0वीडी0– 03 प्रतियां
3. उपस्थिति पंजिका– 03 प्रतियां

(राकेश कण्डारी)
सहा0पर्या0अभियन्ता
यू0के0पी0सी0बी0, देहरादून

(रामजी शरण शर्मा)
अपर जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल